

**साहेबगंज समाहरणालय**  
**जिला भू-अर्जन शाखा, साहेबगंज**  
**समाहर्ता या समुचित सरकार**  
**प्रारंभिक अधिसूचना**

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

संख्या-डी0एल0ए0 साहेबगंज 26 /2018-19/ 587 /भू0अ0, दिनांक - 20.7.18

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - भैराढाब, थाना - बरहेट, थाना सं0 - 32, अंचल - बरहेट, जिला - साहेबगंज में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना बाबुपुर पंडित टोला से चुटिया मोड़ पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम - भैराढाब, थाना - बरहेट, थाना सं0 - 32, अंचल - बरहेट में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 2.863 एकड़ यानि -----x----- हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड संख्या)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	49	1468	रैयती	बाड़ी औवल	0.083	टोरे उर्फ बड़का मुर्मू पिता - पोय मुर्मू दी0	1469	-	1471	1467
2	50	1469	रैयती	धानी दोएम	0.213	वसी सोरेन पति - स्व0 कान्हू मुर्मू दी0	1456	1468	1470	1465
3	50	1470	रैयती	धानी शोएम	0.163	तथैव	1471	1469	1480	1469
4	50	1456	रैयती	धानी शोएम	0.003	तथैव	1455	1469	1471	1459
5	21	1455	रैयती	धानी दोएम	0.024	छिता हेम्ब्रम पिता - सकला हेम्ब्रम दी0	1454	1456	1471	1457
6	26	1454	रैयती	धानी दोएम	0.031	बाबुधन मरांडी पिता - जितराई मरांडी उर्फ पोडो मरांडी दी0	1451	1455	1471	1378
7	49	1451	रैयती	धानी दोएम	0.092	टोरे मुर्मू उर्फ बड़का मुर्मू पिता - पोय मुर्मू दी0	1450	1454	1371	1452
8	49	1450	रैयती	धानी शोएम	0.088	तथैव	1320	1451	1471	1449
9	54	1320			0.026		1446	1450	1471	-
10	44	1446	रैयती	बाड़ी औवल	0.110	लाल सोरेन पिता - रामू सोरेन दी0	1445	1320	1471	1447
11	20	1445		बाड़ी औवल	0.104		1444	144+6	1471	1448
12	54	1444			0.088		1420	1445	1471	1442
13	54	1501			0.131		-	1500	-	1471
14	37	1500	रैयती	बाड़ी औवल	0.047	रगदा हेमरम पिता - स्व0 चरण हेमरम दी0	1501	1498	1501	1471
15	7	1498	रैयती	बाड़ी औवल	0.070	कालीचरण तुरी पिता - स्व0 गणेश तुरी	1500	1497	1499	1471
16	36	1497		बाड़ी औवल	0.048	मतला हाँसदा (R.T)	1498	1494	1496	1471
17	50	1494	रैयती	बाड़ी औवल	0.047	वसी सोरेन पति - स्व0 कान्हू मुर्मू दी0	1497	1493	1501	1471
18	26	1493	रैयती	बाड़ी औवल	0.030	बाबुधन मरांडी पिता - जितराई मरांडी उर्फ पोडो मरांडी दी0	1494	1452	1501	1471
19	45	1492	रैयती	बाड़ी औवल	0.047	जोल्हा मुर्मू पिता - फागू मुर्मू	1493	1488	1491	1471
20	13	1488	रैयती	बाड़ी औवल	0.035	चान्दु सोरेन पिता - स्व0 लोगरा सोरेन दी0	1492	1487	1501	1471
21	32	1487	रैयती	बाड़ी औवल	0.045	डोगरा टुडू पिता - सोम टुडू दी0	1488	1485	1501	1471
22	44	1485	रैयती	बाड़ी औवल	0.019	लाल सोरेन पिता - रामू सोरेन दी0	1487	1484	1486	1471

23	22	1484			0.038		1485	1483	1501	1471
24	23	1483	रैयती	बाड़ी औवल	0.036	रामू मुर्मू पिता - स्व० मांझी मुर्मू दी०	1484	1482	1501	1471
25	34	1482	रैयती	बाड़ी औवल	0.035	रताई हेमरम पिता - सोमाय हेमरम दी०	1483	1481	1502	1471
26	22	1481			0.034		1482	1480	1502	1471
27	11	1480	रैयती	बाड़ी औवल	0.045	कारू हेम्ब्रम वो गोपाल हेम्ब्रम पे० - पोडा हेम्ब्रम (R.T)	1481	1479	1502	1471
28	49	1479	रैयती	बाड़ी औवल	0.039	टोरे उर्फ बड़का मुर्मू पिता - पोय मुर्मू दी०	1480	1478	1502	1471
29	35	1478	रैयती	बाड़ी औवल	0.050	शीराय मुर्मू पिता - स्व० वाजा मुंशी मुमु	1479	1477	1502	1471
30	46	1477	रैयती	बाड़ी औवल	0.048	संतलाल तुरी पिता - खोखा तुरी दी०	1478	1476	1502	1471
31	7	1476	रैयती		0.066	शेवा तुरी पे० - गांगू तुरी दी० (R.T)	1477	1475	1502	1471
32	43	1475	रैयती	बाड़ी औवल	0.050	सोनामुनी मुर्मू पति - स्व० राम हेमरम	1476	1474	1502	1471
33	47	1473	रैयती	बाड़ी औवल	0.035	शिखर किस्कू वल्द शोवान किस्कू (R.T)	1474	1472	1502	1471
34	12	1472	रैयती	बाड़ी औवल	0.035	गाडो मुर्मू पिता - मोनसा मुर्मू दी०	1473	-	1502	1471
35	50	1470	रैयती	धानी शोएम	0.808	वसी सोरेन पति - स्व० कान्हू मुर्मू दी०	1471	1470	1471	1469
<b>कुल रकवा -</b>					<b>2.863</b>					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-30/2013), की धारा-11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता -सह- समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज और उनके कर्मचारियों ..... को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अन्तर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

20/7/18  
उपायुक्त,  
साहेबगंज।